Q1. वे कौन-सी आय है जो सम्पूर्ण आय का भाग नहीं होती ?

Ans ऐसी आयें जो न कुल आय में जोड़ी जाती हैं और न उन पर आयकर लगता है (In comes which are neither included in total income and no income tax is payable on them)– एक करदाता द्वारा गत वर्ष में अर्जित या प्राप्त आयों में से कुछ आयें ऐसी होती हैं जिन्हें उसकी कर योग्य आय की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाता है और न उन आयो पर कर लगाया जाता है। ऐसी आयें करमुक्त आयें कहलाती हैं तथा ये कुल आय का भाग नहीं होती हैं। ऐसी आयों की या तो सम्पूर्ण रकम को या उसकी एक निश्चित रकम की सीमा तक करदाता की कुल आय में शामिल नहीं किया जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 में कर-मुक्त आयों का उल्लेख किया गया है, जिन पर आयकर नहीं लगता है तथा उन्हें करदाता की सम्पूर्ण आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। सभी करदाताओं के लिये कर मुक्त आयें निम्नलिखित है-

1) कृषि आय- धारा 10(1) के प्रावधान के अनुसार कृषि आय पूर्ण रूप से कर मुक्त है। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत इस पर कर नहीं लगता है, यदि यह आयकर अधिनियम में दी गयी 'कृषि आय' की परिभाषा के अन्तर्गत आती हो।

(2) अविभाजित हिन्दू परिवार के सदस्यों को परिवार से प्राप्त आय (Income received from family to the members of Hindu undivided family) [धारा 10 (2)] – आयकर अधिनियम के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार एक पृथक् इकाई है जो करदाताओं की श्रेणी में आती है। कोई आय जो परिवार की आय है तथा जिसे बाद में परिवार के सदस्य आपस में बाँट लेते हैं, सदस्य के हाथों में कर योग्य नहीं हो सकती है।

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि परिवार के सदस्य अपनी निजी सम्पत्ति को भी परिवार की सम्पत्ति में मिला देते हैं। ऐसी मिली हुई सम्पत्ति से हुई आय धारा 64 (2) के अन्तर्गत हस्तान्तरक के हाथों में कर योग्य होती है।

(3) भागीदारी फर्म की आय में भागीदार का भाग (Share of Partner in Partnership Firm's Income) [धारा 10 (2A)] – एक भागीदारी फर्म द्वारा अपनी आय पर स्वयं कर चुकाया जाता है। फर्म में लाभों का बँटवारा होते समय उसके भागीदार को लाभ का जो हिस्सा प्राप्त होता है वह आयकर से पूर्णत: मुक्त होता है परन्तु भागीदार को फर्म से प्राप्त वेतन, ब्याज कमीशन एवं बोनस की आय कर मुक्त नहीं होंगी तथा इन्हें कर योग्य आय में सम्मिलित किया जायेगा।

(4) स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र में स्थापित नये उद्योगों के लाभ (Profits of Newly Established Industrial Undertakings in Free Trade Zone) [धारा 10(A)] – वस्तुओं अथवा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का निर्माण करने वाले निर्यातोन्मुख उद्योगों या उपक्रमों को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की गयी हैं—

(i) भारत सरकार ने काण्डला स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र, सान्ताक्रुज इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र, केरल में कोच्चि निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में नोएडा निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र तथा चेन्नई निर्यात संसाधन क्षेत्र को स्वतन्त्र

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

व्यापार क्षेत्र घोषित किया है तथा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी (EHTP) तथा सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क को वाणिज्य मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है।

(ii) यह छूट समस्त ऐसे करदाताओं, व्यक्ति, फर्म, कम्पनी आदि को प्राप्त होगी जो वस्तुओं एवं कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात में लगे हुए हैं तथा उन्होंने इस क्रिया द्वारा लाभ प्राप्त किया है।

(iii) यदि कोई उपक्रम स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र या निर्यातोन्मुखी क्षेत्र में पहले से ही (कर निर्धारण वर्ष 1981-82 से पूर्व) स्थापित है किन्तु बाद में वह क्षेत्र विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है तब भी ऐसे उपक्रमों को इस छूट का लाभ उस पूर्व वर्ष से दस वर्ष तक की अवधि के लिये दिया जायेगा जिस वर्ष में इस उपक्रम ने स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र या निर्यातोन्मुखी क्षेत्र में निर्माण या उत्पादन सम्बन्धी प्रक्रिया प्रारम्भ की थी।

(iv) यदि उपक्रम किसी पुराने व्यवसाय के विभाजन या पुनर्गठन या पहले से प्रयुक्त मशीनरी के हस्तान्तरण से न बनाया गया हो तो ऐसे उपक्रम को यह छूट उपलब्ध होगी।

(v) यदि करदाता को निर्यात से धन परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त हुआ हो तब भी उसे यह छूट प्राप्त होगी।

(vi) इस कर-मुक्ति को प्राप्त करने के लिये करदाता को अपनी आय की विवरणी के साथ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट का प्रमाण-पत्र फार्म नम्बर 56F में दाखिल करना होगा।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10A (IA) के अनुसार, यदि कोई उपक्रम वस्तुओं अथवा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का उत्पादन दिनांक 31-3-2002 के बाद किसी भी वर्ष में किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्रारम्भ करता है तो उस उपक्रम की कुल आय की गणना करते समय निम्नलिखित तरीके से कटौती (कर-निर्धारण वर्ष 2012-13 के बाद भी) प्रदान की जायेगी -

(i) लाभों की शत-प्रतिशत कटौती (100% Deduction of Profits)- वस्तुओं अथवा सॉफ्टवेयर के निर्यात से प्राप्त लाभों पर शत-प्रतिशत कटौती उस वर्ष से पाँच लगातार वर्षों तक दी जायेगी जिस वर्ष में उपक्रम द्वारा उत्पादन प्रारम्भ किया जाता है।

(ii) लाभों की पचास प्रतिशत कटौती (50% Deduction of Profits) - निर्यात से प्राप्त लाभों की 50% की कटौती अतिरिक्त कर निर्धारण वर्षों के लिये प्रदान की जायेगी।

(iii) लाभों की पचास प्रतिशत कटौती निर्यात से प्राप्त लाभों की यह अतिरिक्त कटौती है जो अगले तीन कर-निर्धारण वर्षों तक प्रदान की जायेगी परन्तु इस कटौती को प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि लाभों की कटौती के बराबर की रकम तीन वर्षों तक विशेष आर्थिक क्षेत्र पुनर्विनियोग संचय भत्ता खाता (Special Economic Zone Re investment Allowance Reserve Account) में जमा की जाये तथा इतनी ही रकम पूर्व के लाभ व हानि खाते में जमा की जानी चाहिए। इस खाते में जमा रकम की तीन वर्षों के अन्दर नये प्लाण्ट व मशीनरी के क्रय करने में उपयोग की जानी चाहिए। उक्त तीन वर्षों की अवधि की गणना उस वर्ष के अन्त से की जायेगी जिस गत वर्ष में यह संचय बनाया गया था। यदि तीन वर्षों में उक्त रकम का उपयोग नहीं किया जाता है या उसका दुरुपयोग किया जाता है तो वह कर योग्य होगी।

यदि किसी भारतीय कम्पनी का ऐसा उपक्रम जो छूट प्राप्त करने के लिये अधिकृत है, किसी अन्य भारतीय कम्पनी को एकीकरण अथवा अविलयन द्वारा हस्तान्तरित कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में छूट का लाभ

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

एकीकरण अथवा अविलयन होने वाले वर्ष से शेष अवधि के लिये एकीकृत कम्पनी अथवा परिणामी कम्पनी को प्राप्त होगा।

इस धारा के अन्तर्गत करदाता को कटौती का लाभ उस स्थिति में प्रदान नहीं किया जायेगा यदि उस करदाता के द्वारा धारा 139 (1) के अन्तर्गत देय तिथि पर या इसके पूर्व आय की विवरणी दाखिल नहीं की है।

5) विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में नये स्थापित नये उद्योगों के लाभ (Profits of Newly Estab lished Industrial Undertaking in Special Economic Zone) — आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (AA) के अनुसार किसी विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में स्थापित नये उद्योगों द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत निर्माण या उत्पादन प्रारम्भ करने पर प्राप्त लाभों पर शत-प्रतिशत छूट कटौती के रूप में समस्त ऐसे करदाताओं, व्यक्ति, फर्म, कम्पनी आदि को प्राप्त होगी जो वस्तुओं एवं कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्माण में लगे हुए हैं तथा लाभ अर्जित कर रहे हैं। इस छूट हैं को प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि करदाता द्वारा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र से भारत के बाहर माल का निर्यात किया जाये तथा निर्धारित फार्म (56FF) में आय की विवरणी अंकेक्षित लेखों के साथ अंकेक्षक की रिपोर्ट संलग्न करते हुए प्रस्तुत किये जायें। यह कटौती पन्द्रह कर निर्धारण वर्षों तक इस प्रकार प्रदान की जायेगी कि प्रथम पाँच वर्षों तक शत-प्रतिशत तथा दूसरे पाँच वर्षों तक पचास प्रतिशत तथा

तीसरे पाँच वर्षों तक पचास प्रतिशत तभी प्रदान की जायेगी जबकि कटौती के बराबर की रकम विशेष खाते तथा लाभ-हानि खाते में जमा कर दी जाये। परन्तु यह कटौती धारा 80-IA तथा 80-IB के अन्तर्गत उन उपक्रमों को प्रदान नहीं की जायेगी जिन्हें धारा 10(AA) के अन्तर्गत यह कटौती प्राप्त है।

(6) शत-प्रतिशत निर्यात उपक्रम से प्राप्त लाभ एवं प्राप्तियाँ (Profits and Gains Derived from a Hundred Percent Export Orientation) - शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से धारा 10B के अन्तर्गत निर्यात से प्राप्त लाभों पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गयी है परन्तु इसके लिये निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति होनी चाहिए -

(i) ऐसा उपक्रम उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत नियुक्त बोर्ड द्वारा शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया हो तथा ऐसा उपक्रम वस्तुओं अथवा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का उत्पादन करता हो एवं इसका शत-प्रतिशत निर्यात करता हो ।
(ii) ऐसा उपक्रम किसी पुराने या विद्यमान व्यवसाय को विभाजन या पुनर्गठन या पहले पुराने या विद्यमान को विभाजन या पहले से प्रयुक्त मशीनरी या प्लांट के हस्तन्तारण से न बनाया गया हो|
(iii) करदाता को निर्यात विक्रय की राशि परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त हो गयी हो तथा उसने अपनी आय को विवरणी के साथ निर्धारित प्रारूप 56G में चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया हो।
(iv) यह छूट कर निर्धारण वर्ष 2012-13 में तथा इसके बाद किसी भी उपक्रम को प्रदान नहीं की जायेगी।
(7) भोपाल गैस रिसाव त्रासदी के पीड़ितों को प्राप्त प्रतिकर (Compensation Received by Victims of Bhopal Gas Leak Disaster) [धारा 10 (10BB)] - भोपाल गैस रिसाव त्रासदी के पीड़ितों को प्राप्त प्रतिकर की राशि तभी कर मुक्त होगी जबकि इसका भुगतान भोपाल गैस रिसाव त्रसादी (दावों का विधियन) अधिनियम, 1985 तथा इस

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

अधिनियम के अधीन तैयार की गयी किसी योजना के अन्तर्गत किया गया हो। परन्तु प्रतिकर की यह राशि आयकर से ऐसी दशा में मुक्त नहीं होगी जबकि पीड़ित ने त्रासदी के सम्बन्ध में कोई व्यय किया है तथा ऐसे व्यय को अपनी कर योग्य आय की गणना करते समय कटौती के रूप में घटा लिया हो।

8) जीवन बीमा से प्राप्त धनराशि (Sum Received from Life Insurance) [धारा 10 (10D)]–करदाता को अपनी जीवन बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत प्राप्त कोई धनराशि या बोनस कर-मुक्त होगा किन्तु निम्नलिखित राशि आयकर से मुक्त नहीं होगी

(i) धारा 80DD (3) अथवा धारा 80DDA (3) के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि;
(ii) कोई भी ऐसी जीवन बीमा पॉलसी जिसे 31-3-2003 के बाद निर्गमित किया गया है तथा इस पॉलिसी की अवधि में किसी भी वर्ष में प्रीमियम की देय राशि वास्तविक बीमित रकम के बीस प्रतिशत से अधिक है तो ऐसी पॉलिसी के परिपक्व होने पर इसका सम्पूर्ण प्राप्त धन कर योग्य होगा किन्तु यदि इस पॉलिसी की रकम किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर प्राप्त होती है तो वह कर मुक्त होगी।
(iii) कोई भी ऐसी जीवन बीमा पॉलिसी जिसे 31-3-2012 के बाद निर्गमित किया गया है तथा पॉलिसी की अवधि में किसी भी वर्ष में प्रीमियम की देय राशि वास्तविक बीमित रकम के दस प्रतिशत से अधिक है तो ऐसी पॉलिसी के परिपक्व होने पर इसका सम्पूर्ण प्राप्त धन कर योग्य होगा किन्तु यदि पॉलिसी की रकम किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर प्राप्त होती है तो सम्पूर्ण रकम कर मुक्त होगी।
(iv) कोई भी ऐसी जीवन बीमा पॉलिसी जिसे 31-3-2013 के बाद निर्गमित किया गया है। तथा इस पॉलिसी की अवधि में किसी भी वर्ष में प्रीमियम की देय राशि वास्तविक रकम के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है तो ऐसी पॉलिसी के परिपक्व होने पर सम्पूर्ण प्राप्त धन कर योग्य होगा किन्तु यदि इस पॉलिसी की रकम किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर प्राप्त होती है तो सम्पूर्ण रकम कर मुक्त होगी भले ही देय प्रीमियम की रकम बीमित धनराशि के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो गयी हो ।
इस सम्बन्ध में यह भी आवश्यक है कि ऐसी पॉलिसी का निर्गमन 31-3-2013 के बाद धारा SOU में निर्दिष्ट किये गए विकलांग व्यक्ति अथवा गम्भीर रूप से विकलांग व्यक्ति एवं धारा 80DDB में वर्णित बीमारंयों से पीड़ित व्यक्तियों को किया गया हो।

(9) भविष्य निधि से प्राप्त भुगतान (Payment Received from Provided Funds) [धारा 10 (11)] – वैधानिक भविष्य निधि जिस पर भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होता है अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित सार्वजनिक भविष्य निधि से प्राप्त भुगतान पूर्णतया कर मुक्त होता है।

(10) विशिष्ट विनिवेशों पर ब्याज प्रीमियम अथवा बोनस (Interest, Premium or Bonus on Specified Investment) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (15) में इस सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है.

(क) किसी भी करदाता की दशा में कर-मुक्ति (Exemption from Tax in case of Any Assessee)- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (15) (i) के अन्तर्गत ऐसी प्रतिभूतियों, बॉण्ड्स, वार्षिकी, प्रमाण-पत्रों, बचत प्रमाण-पत्रों, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्गमित अन्य प्रमाण पत्रों, बचत प्रमाण-पत्रों, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्गमित अन्य प्रमाण-पत्रों, केन्द्रीय सरकार द्वारा शासकीय गजट में अधिसूचित जमाओं पर ब्याज, उनके शोधन पर प्रीमियम

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

अथवा अन्य कोई प्राप्त भुगतान निर्धारित सीमाओं एवं शर्तों के अन्तर्गत प्रत्येक करदाता के लिये कर मुक्त होगा। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित प्रतिभूतियों एवं जमाओं पर ब्याज को पूर्णतया कर मक्ति के लिये शासकीय गजट में अधिसूचित किया है-

(i) वार्षिकी प्रमाण-पत्र (Annuity Certificates);
(ii) राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बॉण्ड, 1980 (National Defence Gold Bonds, 1980);
(iii) विशेष वाहक बॉण्ड्स, 1991 (Special Bearer Bonds, 1991);
(iv) ट्रेजरी बचत प्रमाण-पत्र (Treasury Savings Deposit Certificates);
(v) डाकखाने के नकद प्रमाण-पत्र (Post Office Cash Certificates); (vi) राष्ट्रीय योजना प्रमाण पत्र (National Plan Certificates);
(vii) बारह वर्षीय राष्ट्रीय योजना प्रमाण-पत्र (12 Years National Plan Certifi cates):
(viii) डाकखाने के राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (Post Office National Savings Certifi cates); (ix) डाकखाने का बचत खाता (Post Office Saving Bank Account);
[नोट – इसमें किसी करदाता के एकल बचत खाते पर अधिकतम 3,500 रुपये तथा संयुक्त खाते की दशा में अधिकतम 7,000 रुपये तक की धनराशि ही कर मुक्त होगी।]
(x) डाकखाना संचयी सावधि जमा खाता (Post Office Commutative Times Deposit);
(xi) डाकखाने के सार्वजनिक खाते पर 5,000 रुपये तक की व्याज (Interest on Public Account under Post Office Saving Bank Account Rules upto Rs. 5,000):
(xii) विशेष जमा योजना, 1981 (Special Deposit Scheme, 1981);

(ख) एक व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा में प्रतिभूतियों पर ब्याज (Interest on Securities in Case of an Individual or Hindu Undivided Family) एक व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार को प्राप्त सात प्रतिशत पूँजी विनियोग बॉण्ड्स पर ब्याज, जिसे केन्द्रीय सरकार ने शासकीय गजट में अधिसूचित किया है, कर मुक्त होगी परन्तु केन्द्रीय सरकार 31-5-2002 के बाद पूँजी विनियोग बॉण्ड्स को विनिर्दिष्ट नहीं करेगी। ऐसे राहत बॉण्ड्स (Relief Bonds) पर प्राप्त ब्याज कर मुक्त होगी जिन्हें केन्द्रीय सरकार शासकीय गजट में अधिसूचित करे। [धारा 10 (15) (iib) तथा (iic)]

(प) अधिसूचित बॉण्ड्स पर ध्याने की का मुक्कि (Exemption of Interest on Notified Honds) केन्द्रीय सरकार शासकीय गजट में अधिसूचित द्वारा ऐसे बॉण्ड्स पर ब्याज को कर एक घोषित कर सकती है जो एक अनिवासी भारतीय व्यक्ति के पास हैं या उसके नामांकित अपना उत्तराधिकारी के पास है अथवा ऐसे बॉण्ट्रय किसी अनिवासी भारतीय द्वारा उसे उपहार में दिये गए हैं परन्तु ऐसे नॉण्ड्स पर प्राप्त ब्याज पर कर चूंकि सभी दी जायेगी जब निम्नलिखित तं पूरी होती हो-

(i) यह कि ऑॉण्ड्स अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किये गए हो ;
(ii) यह कि ऐसे बॉण्ड्स की परिपक्वता पर अथवा अन्य किसी प्रकार से प्राप्त मूलधन व ब्याज भारत के बाहर नहीं से जागी जायेगी,
(iii) यह कि ऐसे बॉण्ड्स परिपक्वता से पूर्व भुनाये नहीं जायेंगे। [धारा 10(15) (iid)]

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

वित्त अधिनियम, 2002 के अनुसार केन्द्रीय सरकार दिनांक 1-6-2002 को या इसके बाद ऐसे बॉण्ड्स को इस उपधारा के लिये विनिर्दिष्ट नहीं करेगी।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के अधिसूचित बॉण्ड्स तथा ऋणपत्रों पर ब्याज (Interest on Bonds and Debentures of Notified Companies of Public Sector) निम्न लिखित द्वारा जारी किये गए बॉण्ड्स तथा ऋणपत्रों पर देय ब्याज भी कर मुक्त होती है-

(i) इण्डियन रेलवे फाइनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किये गए नौ प्रतिशत एवं दस प्रतिशत प्रतिभूत मोचनीय अपरिवर्तनीय एक हजार रुपये तक के बॉण्ड्स;

(ii) नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पॉवर कॉरपोरेशन, न्यू डेल्ही द्वारा जारी किये गए दस वर्षीय नौ प्रतिशत कर मुक्त प्रतिभृत मोचनीय अपरिवर्तनीय बॉण्ड्स, 1987 (B-सीरीज);

(iii) दस प्रतिशत प्रतिभूत मोचनीय एन. टी. पी. सी. बॉण्ड्स, 1986, फर्स्ट सीरीज,

(iv) रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किये गए दस वर्षीय नौ प्रतिशत कर मुक्त प्रतिभूत मोचनीय R.E.C बॉण्ड्स, 1997

(v) पॉवर फाइनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किये गए दस वर्षीय नौ प्रतिशत कर मुक्त प्रतिभूत मोचनीय अपरिवर्तनीय PFC बॉण्ड्स (III Series);

(vi) NTPC द्वारा जारी किये गए दस वर्षीय नौ प्रतिशत कर मुक्त प्रतिभूत मोचनीय अपरिवर्तनीय एन. टी. पी. सी. बॉण्ड्स (V Issue Private Placement);

(vii) नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किये गए दस वर्षीय नौ प्रतिशत कर मुक्त प्रतिभूत मोचनीय अपरिवर्तनीय बॉण्ड्स (D-Series);

(viii) न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन द्वारा जारी किये गए दस वर्षीय नौ प्रतिशत कर मुक्त प्रतिभूत मोचनीय अपरिवर्तनीय बॉण्ड्स (प्राइवेट प्लेसमेण्ट);

(ix) हाउसिंग एण्ड डवलपमेण्ट कॉरपोरेशन द्वारा जारी किये गए दस वर्षीय नौ प्रतिशत कर-मुक्त हुडको के (HUDCO'S) पब्लिक सेक्टर शेल्टर बॉण्ड्स (Series-III)

(ड) निम्नलिखित प्रतिभूतियों पर प्राप्त व्याज भी कर-मुक्त होती है---

(i) भारत के बाहर केन्द्रीय बैंक का कार्य करने वाली किसी विदेशी बैंक को देय व्याज कर मुक्त होती है। यह व्याज उस राशि पर चुकाया जाता है जो भारतीय सूचीबद्ध बैंक (Scheduled Bank) में जमा है। इस जमा को भारतीय रिजर्व बैंक की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

(ii) एक अवकाश प्राप्त सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी द्वारा अवकाश के लाभों में से विशिष्ट योजना में किये गए जमा पर ब्याज

(iii) भोपाल गैस रिसाव त्रासदी पीड़ित, कल्याण आयुक्त की प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज ।

(iv) भोपाल गैस रिसाव त्रासदी में पीड़ितों के हित के लिये जमा धन पर ब्याज बशर्ते यह धन भारतीय रिजर्व बैंक अथवा एक सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक में विशिष्ट खाते में जमा किया हो।

(v) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित स्वर्ण जमा योजना, 1999 के अन्तर्गत निर्गमित स्वर्ण जमा बॉण्ड्स पर ब्याज

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(vi) किसी स्थानीय प्राधिकारी (Local Authority) द्वारा जारी किये गए तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये गए बॉण्ड्स पर प्राप्त ब्याज

(11) छात्रवृत्तियाँ (Scholorships) — आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(16) के अन्तर्गत छात्रों को शिक्षा व्यय की पूर्ति के लिये एवं शोध कार्यों के लिये सरकार अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियाँ तथा शिष्यवृत्तियाँ (Fellowships) प्राप्तकर्ता के लिये पूर्ण रूप से कर-मुक्त होती हैं। यदि कोई प्राप्तकर्ता इन्हें पूर्ण रूप से खर्च नहीं भी कर पाता है फिर भी ये कर-मुक्त रहेंगी।

(12) सांसदों एवं विधायकों के भत्ते (Allowances of M.P.'s and M.L.A. 's) – आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (17) के अनुसार सांसदों एवं विधायकों के निम्नलिखित भत्ते कर मुक्त हैं—

(i) संसद के दोनों सदनों के सदस्यों तथा विधानमण्डल के सदस्यों को प्राप्त होने वाले दैनिक भत्तों से प्राप्त सम्पूर्ण आय कर मुक्त होती है।

(ii) यदि संसद सदस्यों या विधानमण्डल के सदस्यों को दैनिक भत्तों के अलावा कोई अन्य भत्ता भी मिलता है तो वह भी पूर्णतया कर-मुक्त होता है।

(iii) यदि संसद द्वारा अथवा विधानमण्डल द्वारा किसी समिति की नियुक्ति की जाती है तो कमेटी के सदस्यों को भत्ते के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि भी पूर्णतया कर-मुक्त होती है।

(13) कतिपय पुरस्कार (Certain Awards) – आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (17A) के अनुसार निम्नलिखित पुरस्कार आयकर से पूर्णतया कर-मुक्त हैं, चाहे वे नकद रूप में प्राप्त हों या वस्तुओं के रूप में प्राप्त हों

(i) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा जनहित में प्रारम्भ किये गए किसी पुरस्कार का नकद भुगतान अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा जनहित में प्रारम्भ किये गए किसी ऐसे पुरस्कार का नगद भुगतान जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस मुक्ति के लिये अनुमोदित है।

(ii) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा ऐसे उद्देश्यों के लिये दिया गया कोई पुरस्कार जो केन्द्रीय सरकार द्वारा जनहित के लिये अनुमोदित है।

ऐसे पुरस्कार साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा कलात्मक कार्यों के लिये भी प्रदान किये जा सकते हैं परन्तु इन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

(14) वीरता पुरस्कार विजेताओं को पेंशन (Pension to Gallantry Award Winners) — आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (18) के अनुसार वीरता पुरस्कार विजेताओं को प्राप्त अग्रलिखित आयें आयकर से पूर्णतया कर मुक्त होती हैं—

(i) 'परमवीर चक्र', 'महावीर चक्र' या 'वीर चक्र' अथवा युद्ध में प्रदर्शित अदम्य साहस एवं वीरता के लिये प्रदत्त ऐसे ही किसी अन्य पुरस्कार के विजेता भारतीय सेनाओं के सदस्य को प्राप्त पेंशन;

(ii) ऐसे पुरस्कार विजेता के परिवार के किसी सदस्य को प्राप्त परिवार-पेंशन;

(iii) इसी प्रकार के किसी अन्य पुरस्कार से प्राप्त राशि जिसे केन्द्रीय सरकार ने शासकीय गजट में अधिसूचित किया हो ।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(15) सशस्त्र सेना के परिवारीजनों को परिवार पेंशन (Family Penson to Members of Armed Forces)—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(19) के अनुसार यदि सशस्त्र सेना, जिसमें पैरा मिलिट्री सेना भी शामिल है, के किसी कर्मचारी की अपनी ड्यूटी करते समय मृत्यु हो जाती है तो उसकी विधवा, बच्चों या नामित उत्तराधिकारी को प्राप्त पेंशन आयकर से मुक्त होगी जबकि इससे सम्बन्धित निर्धारित शर्तें पूरी होती हों। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(19) का यह प्रावधान कर निर्धारण वर्ष 2005-06 से लागू किया गया है।

(16) किसी भी एक महल का वार्षिक मूल्य (Annual Value of Any One Palace) - आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (19A) के अनुसार किसी पूर्व शासक अधिकार के समस्त महलों में से किसी भी एक महल, जिसे वह शासक इस मुक्ति के लिये चुने, का वार्षिक मूल्य आयकर से पूर्णतया कर - मुक्त होगा। आयकर से पूर्ण कर मुक्ति प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि इस महल का वार्षिक मूल्य संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 से पूर्व निम्नलिखित में से किसी भी अधिनियम के अन्तर्गत, जो लागू होता हो, आयकर से मुक्त था—

(i) Merged States (Taxation Concession) Order, 1949; or
(ii) Part B States (Taxation Concession) Order, 1950; or
(iii) Jammu & Kashmir (Taxation Concession) Order, 1958.

किन्तु यदि महल का कोई भाग किराये पर दिया गया है तो भी सम्पूर्ण महल का वार्षिक मूल्य आयकर से मुक्त होगा।

(17) अनुसूचित जनजातियों की आयें (Incomes of Scheduled Tribes) – आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26) के अनुसार ट्राइबल क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा किसी भी क्षेत्र या राज्य में किसी भी स्रोत से उपार्जित या उदय हुई आयें आयकर से पूर्णतया कर-मुक्त होती हैं। ट्राइबल क्षेत्रों का उल्लेख संविधान की छठवीं अनुसूची के परिच्छेद 20 के साथ संलग्न सारणी के प्रथम व द्वितीय भाग में किया गया है तथा ऐसे सदस्य जो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा तथा सिक्किम में रहते हैं वही इस धारा के अन्तर्गत कर मुक्ति का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

(18) चाय बोर्ड से प्राप्त अनुदान (Subsidy Received from Tea Board) - आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (30) के अनुसार भारत में चाय के उत्पादन तथा निर्माण में संलग्न करदाता को चाय बोर्ड से या चाय बोर्ड के माध्यम से चाय के पौधों को पुनः लगाने हेतु या चाय के पौधों के नवीनीकरण हेतु या चाय की खेती की जमीन के नवीनीकरण या एकीकरण हेतु प्राप्त अनुदान आयकर से पूर्णतया कर मुक्त होगा। ऐसी कर मुक्ति प्राप्त करने के लिये करदाता को अपनी आय की विवरणी के साथ-साथ चाय बोर्ड की अनुदान राशि का प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना होगा।

(19) अन्य बोर्डों से प्राप्त अनुदान (Subsidy Received from Other Boards) – आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (31) के अनुसार यदि किसी कारदाता को रबड़, कॉफी, इलायची अथवा स्पष्टतया घोषित किसी अन्य तु के पौधों को लगाने के सम्बन्ध में कोई अनुदान या सहायता रबड़ बोर्ड, कॉफी बोर्ड या मसाला बोर्ड (Spices Board) से प्राप्त होती है तथा इस अनुदान या सहायता राशि का उपयोग उपरोक्त प्रकार के पौधों को पुन: लगाने हेतु या उनका प्रतिस्थापन करने हेतु किया गया है तो इस अनुदान की राशि कर-मुक्त होगी। ऐसी कर मुक्ति प्राप्त करने के लिये करदाता को छूट का प्रमाण-पत्र आयकर अधिकारी के पास जमा करना होगा।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(20) अवयस्क बालक की आय (Income of Minor Child) — आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (32) के अनुसार, यदि किसी करदाता की आय में धारा 64 (1-A) के अन्तर्गत उसके अवयस्क बच्चे की आय जोड़ी जाती है तो ऐसे प्रत्येक अवयस्क बच्चे की एक हजार पाँच सौ रुपये तक की आय करदाता की कुल आय में नहीं जोड़ी जायेगी क्योंकि प्रत्येक अवयस्क बच्चे की एक हजार पाँच सौ रुपये तक की आय पूर्णतया कर-मुक्त है।

(21) यूनिटों के हस्तान्तरण पर पूँजी लाभ (Capital Gain on Transfer of Units) — आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (33) के अनुसार यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की यूनिट योजना, 1964 के यूनिटों के हस्तान्तरण पर होने वाला पूँजी लाभ कर मुक्त होगा यदि ऐसा हस्तान्तरण 31-3-2002 के बाद होता है। ऐसी पूँजी सम्पत्ति अल्पकालीन या दीर्घकालीन हो सकती है तथा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन प्रकार के पूँजी लाभ कर-मुक्त होते हैं।

(22) घरेलू कम्पनी से प्राप्त लाभांश (Dividend Received from Domestic Company) — आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (34) के अनुसार घरेलू कम्पनी द्वारा घोषित या वितरित लाभांश कर निर्धारण वर्ष 2004-05 से कर-मुक्त घोषित कर दिया गया है। अतः अब किसी भी करदाता द्वारा किसी घरेलू कम्पनी से प्राप्त लाभांश, जो धारा 115-0 के अन्तर्गत घोषित किया गया है, उसकी कर योग्य आय की गणना करते समय उसमें शामिल नहीं किया जायेगा परन्तु इस लाभांश में धारा 2 (22)(e) के अन्तर्गत आने वाला लाभांश शामिल नहीं होगा।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 में एक नई उपधारा (34A) वित्त अधिनियम, 2014 द्वारा जोड़ी गयी है जिसमें यह उपबन्धित किया गया है कि एक करदाता, जो अंशधारी है, के अंशों को कम्पनी द्वारा पुनः वापस क्रय करने पर यदि कोई आय है जिसे धारा 115QA में सन्दर्भित किया गया है तो उस आय को कर से छूट प्राप्त होगी यदि ये अंश मान्यता प्राप्त स्कन्ध विपणि (Stock Exchange) पर सूचीबद्ध नहीं है।

(23) यूनिटों से प्राप्त आय (Income Received from Units)-आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(35) के अनुसार यूनिट धारकों के लिये यूनिटों से प्राप्त आय निम्नलिखित दशाओं में कर-मुक्त होगी

(i) सहयोगी फण्ड [धारा 10(23D) में निर्दिष्ट] के यूनिटों के सम्बन्ध में प्राप्त आय;
(ii) यूनिटों के सम्बन्ध में विशिष्ट उपक्रम के प्रशासक से प्राप्त आय अर्थात् यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के यूनिट धारक को यूनिटों से प्राप्त आय;
(iii) यूनिटों के सम्बन्ध में विशिष्ट कम्पनी से प्राप्त आय;
(iv) किसी विनियोजक (विनियोगकर्ता) की प्रतिभूतिकरण प्रन्यास से कोई आय जो वितरित की गयी आय का भाग है, कर-मुक्त होगी। [धारा 10 (35A)]

(24) पात्र समता (साम्य) अंशों पर दीर्घकालीन पूँजी लाभ (Long-term Capital Gain on Eligible Equity Shares) — आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (36) के अनुसार किसी कम्पनी के पात्र समता अंशों के हस्तान्तरण से उत्पन्न दीर्घकालीन पूँजी लाभ कर मुक्त होते हैं यदि ऐसे अंशों को दिनांक 01-3-2003 को

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

अथवा इसके बाद किन्तु दिनांक 01-3-2004 से पूर्व क्रय-विक्रय किया गया हो तथा हस्तान्तरणकर्ता ने ऐसे अंशों को बारह महीने या इससे अधिक अवधि के लिये धारित किया हो।

इस धारा के प्रयोजनार्थ पात्र समता अंशों का तात्पर्य निम्नलिखित से है-

(i) किसी कम्पनी के ऐसे समता अंशों से है जो दिनांक 1-3-2003 को स्टॉक एक्सचेन्ज, बम्बई के BSE-500 Index के भाग हैं तथा ऐसे अंशों के क्रय एवं विक्रय का संव्यवहार भारत के किसी प्रमाणित स्टॉक एक्सचेन्ज में अभिलिखित है।

(ii) किसी कम्पनी के ऐसे समता अंशों से है जो सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से दिनांक 1-3-2003 को अथवा उसके बाद आबंटित हुए हैं तथा दिनांक 1-3-2004 से पूर्व भारत में किसी प्रमाणित स्टॉक एक्सचेन्ज में सूचीबद्ध हैं तथा ऐसे अंशों के क्रय विक्रय का संव्यवहार भारत के किसी प्रमाणित स्टॉक एक्सचेन्ज में अभिलिखित है।

(25) कृषि भूमि के हस्तान्तरण से उत्पन्न पूँजी लाभ (Capital Gains Arising from Transfer of Agricultural Land) – आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (37) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार की कृषि भूमि के हस्तान्तरण से उत्पन्न कोई भी आय जो 'पूँजी लाभ' शीर्षक में कर योग्य है आयकर से मुक्त होती है; यदि,

(i) ऐसी भूमि को वह व्यक्ति अथवा उसके माता-पिता अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार हस्तान्तरण के दिनांक से तुरन्त पूर्व के दो वर्षों से कृषि उद्देश्यों के लिये प्रयुक्तकरता है;

(ii) ऐसा हस्तान्तरण या तो किसी अधिनियम के अन्तर्गत अनिवार्य अधिग्रहण द्वारा हुआ है। अथवा इसका प्रतिफल केन्द्र सरकार अथवा रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित अर्थवा निर्धारित है;

(iii) ऐसी आय ऐसे हस्तान्तरण से दिनांक 1-4-2004 को अथवा इसके बाद प्राप्त क्षतिपूर्ति अथवा प्रतिफल के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है।

यदि कृषि भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण दिनांक 1-4-2004 से पूर्व किया गया है किन्तु क्षतिपूर्ति की रकम दिनांक 31-3-2004 के बाद प्राप्त हुई है तब भी पूँजी लाभ कर मुक्त होगा परन्तु यदि क्षतिपूर्ति की रकम का कुछ भाग दिनांक 1-4-2004 से पूर्व प्राप्त हो गया है तथा शेष भाग दिनांक 31-3-2004 के बाद प्राप्त हुआ है तो यह पूँजी लाभ कर मुक्त नहीं होगा। यदि बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति की रकम का भाग दिनांक 1-4-2004 को या इसके बाद प्राप्त होना है तथा कृषि भूमि का अधिग्रहण दिनांक 1-4-2004 से पूर्व ही हो जाता है तो ऐसी बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति की रकम कर-मुक्त होगी।

(26) एक दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से आय (Income from Transfer of a Long-term Capital Assets) – आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (38) के अनुसार दिनांक 1-10-2004 को अथवा इसके बाद किसी कम्पनी के साम्य (समता) अंशों अथवा अंश सम्बद्ध कोष (Equity Oriented Fund) के यूनिटों के विक्रय से उत्पन्न दीर्घकालीन पूँजी लाभ कर-मुक्त होते हैं, परन्तु ऐसे यूनिटों का विक्रय मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेन्ज के माध्यम से किया जाना चाहिए अथवा उन्हें किसी पारस्परिक कोष (Mutual Fund) को बेचा गया हो तथा यह लेन-देन प्रतिभूति संव्यवहार कर के अन्तर्गत कर योग्य होना चाहिये)

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(27) भारत में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय खेल-कूद प्रतियोगिता से उत्पन्न कोई विशेष आय (Any Specified Income Arising from any Internation आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(39) के अनुसार भारत सरकार द्वारा अधि सूचित व्यक्ति या व्यक्तियों को भारत में आयोजित किसी अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता से यदि कोई आय उत्पन्न होती है तो वह आयकर से मुक्त होगी परन्तु इसके लिये यह आवश्यक है कि ऐसा आयोजन केन्द्रीय सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिये अधिसूचित किया गया हो तथा इस आयोजन में दो देशों से अधिक देशों की भागीदारी रही हो तथा ऐसा आयोजन उस अन्तर्राष्ट्रीय खेल-कूद संस्था द्वारा अनुमोदित होना चाहिए जो अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद आयोजनों पर नियन्त्रण रखती हो ।

(28) बिजली आदि के उत्पादन एवं वितरण में संलग्न सूत्रधारी कम्पनियों से सहायक कम्पनी को प्राप्त अनुदान की धनराशि भी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (40) के अन्तर्गत कर मुक्त होती है यदि ऐसे अनुदान की धनराशि कर निर्धारण वर्ष 2006-07 में प्राप्त हुई हो।

(29) बिजली आदि के उत्पादन के व्यवसाय में संलग्न उपक्रमों को प्राप्त पूँजी लाभ (Capital Gain Received by Undertakings engaged in Business of Generation of Power) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(41) के अनुसार ऊर्जा के उत्पादन, सम्प्रेषण अथवा वितरण के व्यापार में संलग्न उपक्रम की पूँजी सम्पत्तियों के हस्तान्तरण से उत्पन्न होने वाली आय कर- मुक्त होगी यदि ऐसा हस्तान्तरण ऐसी भारतीय कम्पनी को दिनांक 31-3-2006 को या इसके पूर्व हुआ है जो आयकर अधिनियम की धारा 80-IA (4) (V) (a) के अन्तर्गत अधिसूचित है।

(30) कतिपय निकायों या प्राधिकारियों की विशिष्ट आयें (Specified Incomes of Certain Bodies or Authorities) — आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (42) के अन्तर्गत कतिपय निकायों या प्राधिकारियों की विशिष्ट आयें कर मुक्त घोषित की गयी हैं परन्तु इसके लिये निम्नलिखित शर्तें आवश्यक हैं

(i) ऐसे निकायों या संस्थाओं का निर्माण या ऐसे प्राधिकारियों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य किये गए किसी अनुबन्ध के अन्तर्गत किया गया हो;
(ii) ऐसे निकायों का निर्माण या प्राधिकारियों की नियुक्ति का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं होना चाहिए;
(iii) ऐसे निकायों या प्राधिकारियों की आयों को कर मुक्ति तभी प्रदान की जायेगी जब इस हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा शासकीय गजट में अधिसूचना जारी कर दी गयी हो। इस धारा में विशिष्ट आयों' का तात्पर्य ऐसी आयों से हैं जिसकी सीमा एवं प्रकृति ऐसी हो जैसी कि केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की है।
(31) किसी एक व्यक्ति को ऋण के रूप में प्राप्त राशि (Any Amount Recieved by an Individual as Loan) — आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (43) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति विपरीत (प्रतिवर्ती) बन्धक योजना (Reserve Mortgage Scheme) के अन्तर्गत एकमुश्त अथवा किश्तों में ऋण प्राप्त करता है तो ऋणदाता अथवा ऋण प्राप्तकर्ता के जीवनकाल में उस ऋण राशि पर कोई आयकर नहीं लगाया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत सामान्यतया उधार लेने वाला व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक होता है तथा वह अपने जीवनकाल में उधार लिये गए मूलधन तथा उस पर ब्याज का भुगतान ऋणदाता को नहीं करता है।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(32) नवीन पेंशन योजना की आय (Income of New Pension Scheme) - आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (44) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 द्वारा दिनांक 27-02-2008 को स्थापित की गयी 'नई पेंशन योजना न्यास' के अन्तर्गत या उसकी ओर से पेंशन के रूप में कोई आय प्राप्त करता है तो ऐसी आय कर मुक्त होगी।

(33) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के अनुलाभ एवं भत्ते (Requisites and Allowances of Chairman and Members of Union Public Service Commis sion) — आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (45) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को, जिन्होंने अवकाश ग्रहण नहीं किया है, किराया मुक्त सरकारी आवास का मूल्य, यातायात भत्ता सहित यातायात

सुविधाओं का मूल्य तथा अवकाश यात्रा रियायत का मूल्य (अनुलाभ एवं भत्ते के रूप में) कर मुक्त होगा। अवकाश यात्रा रियायत के मूल्य की सुविधा अध्यक्ष तथा सदस्यों के परिवार के व्यक्तियों को भी प्राप्त होती है। यदि आयोग के अध्यक्ष या सदस्य ने अवकाश ग्रहण कर लिया है तो उन्हें चौदह हजार रुपये प्रतिमाह तथा मीटिंग में हुए व्यय की राशि तथा आवास पर लागत मुक्त फोन का मूल्य तथा एक हजार पाँच सौ रुपये प्रतिमाह मुफ्त फोन की कॉल की सुविधा प्राप्त होती रहेगी तथा इस राशि पर कोई आयकर नहीं लगेगा।

(34) अधिसूचित निकायों, प्राधिकारियों, न्यासों या बोर्डों की विशिष्ट आयें (Specified Incomes of Notified Bodies, Authorities, Trusts or Boards) — आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (46) के अनुसार, यदि किसी निकाय, प्राधिकारी, न्यास या बोर्ड की स्थापना केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अथवा केन्द्रीय, राज्यीय या प्रान्तीय अधिनियम के अन्तर्गत आम जनता के लाभों के लिये की गयी क्रियाओं को विनियमित तथा प्रशासित करने के लिये की गयी है तथा इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है तो उपरोक्त निकायों, प्राधिकारियों, न्यासों तथा बोर्डों को प्राप्त आय कर मुक्त होगी।

(35) अवसंरचना ऋण कोष की आय (Irncome of Infrastructure Debt Fund) — आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(47) के अनुसार केन्द्रीय सरकार किसी भी ऐसे अव संरचना ऋण कोष की आय को अधिसूचना द्वारा कर मुक्त घोषित कर सकती है परन्तु केन्द्रीय सरकार ऐसी अधिसूचना तभी जारी करेगी जब कि ऐसे कोष की स्थापना निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत की गयी हो। ऐसे कोष को आयकर अधिनियम की धारा 139 के अन्तर्गत आय की विवरणी दाखिल करनी होगी।

(36) विदेशी कम्पनी की आय (Income of Foreign Company) - आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(48) के अनुसार, एक विदेशी कम्पनी की भारत में प्राप्त आय, जो भारत में किसी व्यक्ति को कच्चा तेल बेचने से प्राप्त हुई है, कर मुक्त होगी। यह आय भारत में भारतीय मुद्रा में प्राप्त होनी चाहिए तथा केन्द्रीय सरकार के साथ किसी समझौते के अन्तर्गत या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी ऐसे समझौते के अन्तर्गत होना चाहिए जो राष्ट्रहित में हो।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(37) राष्ट्रीय वित्तीय सूत्रधारी कम्पनी लिमिटेड की आय (Income of National Finan cial Holding Company Limited) — आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(49) के अनुसार, किसी ऐसे राष्ट्रीय वित्तीय सूत्रधारी कम्पनी लिमिटेड की आय कर मुक्त होगी जिसकी स्थापना केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 01-4-2014 को या इसके पूर्व के कर निर्धारण से सम्बन्धित गत वर्ष में की गयी हो।

Q2 "आयकर आय पर लगाने वाला कर है, प्राप्तियों पर लगने वाला नहीं। " इस कथन की विवेचना कीजिये तथा 'आय ' शब्द के प्रमुख लक्षण बताइये |

Ans आय से अभिप्राय (Meaning of income) – आयकर अधिनियम की धारा 2 (24) में दी गई 'आय' की उपरोक्त परिभाषा को एक सम्पूर्ण परिभाषा नहीं कहा जा सकता है इससे केवल यह पता चलता है कि आय में क्या शामिल है। सामान्यतया आय शब्द से अभिप्राय मुद्रा के रूप में प्राप्त ऐसी आय से है जो कुछ निश्चित स्रोतों अथवा निश्चित साधनों से समय-समय पर प्राप्त होती रहती है। आय के निश्चित स्रोतों अथवा साधनों में वेतन भवन सम्पत्ति से प्राप्त आय, व्यापार या पेशे से प्राप्त लाभ, पूँजी लाभ, आदि को माना जा सकता है। यदि आय उपरोक्त स्रोतों अथवा साधनों से प्राप्त नहीं होती है तो इस अधिनियम के उद्देश्यार्थ उस आय को आय नहीं माना जायेगा। उदाहरण के लिये, यदि किसी व्यक्ति को सड़क पर पड़ा हुआ एक पर्स मिलता है जिसमें 5,000 रुपये निकलते हैं तो यह धनराशि उस व्यक्ति की आय में सम्मिलित नहीं की जा सकती है क्योंकि आय प्राप्ति का कोई निश्चित स्रोत या साधन नहीं है।

आब के सिद्धान्त अथवा तत्व (Principles or Elements of Income)—'आय' की अवधारणा के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों ने अपने निर्णयों में कुछ सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं—

(1) आय बाहर से प्राप्त हो—आय किसी बाहरी स्रोत से प्राप्त होनी चाहिए। एक व्यक्ति स्वयं के साथ संव्यवहार द्वारा कोई कर योग्य लाभ नहीं कमा सकता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई संस्था अपने सदस्यों से चन्दा इकट्ठा करके उसे संस्था के लिये ही व्यय करती है तथा यह व्यय एकत्रित की गई राशि से कम है तो बचा हुआ आधिक्य आय नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वह बाहर से प्राप्त नहीं हुई है।

(2) आय की वैधानिकता - आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कानूनी एवं गैर-कानूनी दोनों प्रकार की आय कर योग्य होती है। इस प्रकार कालाबाजारी अथवा स्मगलिंग से प्राप्त आय भी इस अधिनियम के अन्तर्गत कर योग्य होती है।

(3) नियमित अथवा अनियमित आय- आय नियमित आय हो सकती है तथा अनियमित भी हो सकती है। दैनिक, साप्ताहिक, त्रैमासिक, मासिक, षट्मासिक आय को नियमित आय कहा जाता है। यह आय वर्ष में एक बार भी प्राप्त हो सकती है। दोनों ही स्थितियों में आय कर योग्य है।

(4) द्रव्य के रूप में या वस्तु या सेवा के रूप में आय–आय के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह द्रव्य या धन के रूप में ही हो, बल्कि यह वस्तु या सेवा के रूप में भी हो सकती है। जब आय वस्तु या सेवा के रूप में प्राप्त होती है, तो उसका मूल्यांकन मुद्रा के रूप में कर लिया जाता है।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(5) स्थायी या अस्थायी आय–आय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह स्थायी ही हो । यह अस्थायी भी हो सकती है तथा दोनों पर ही करारोपण हो सकता है क्योंकि करारोपण की दृष्टि से इनमें कोई अन्तर नहीं किया जाता है। वेतन, भवन सम्पत्ति, प्रतिभूतियों पर ब्याज आदि से प्राप्त आय स्थायी प्रकृति की आय है इसके विपरीत नीलाम, व्यापार या पेशा या पूँजी लाभ आदि से प्राप्त आय अस्थायी प्रकृति की होती है। दोनों ही प्रकार की आयें आयकर अधिनियम के अन्तर्गत करारोपण योग्य मानी जाती हैं।

(6) मुद्रा के अवमूल्यन से प्राप्त आय– यदि किसी व्यक्ति को कोई आय मुद्रा के अव मूल्यन के फलस्वरूप प्राप्त होती है तो यह उसकी अतिरिक्त आय मानी जायेगी जोकि कर योग्य होगी।

(7) विवादास्पद आय-यदि किसी आय के स्वत्व के सम्बन्ध में कोई विवाद है तो उसके कर निर्धारण को न तो रोका जायेगा और न उसे स्थगित किया जायेगा, बल्कि कर निर्धारण उस व्यक्ति पर किया जायेगा जिसके कि हाथ में वह आय है तथा आय प्राप्तकर्ता इस पर कर अदा करेगा।

(8) प्राप्त अथवा उत्पन्न या कमाई गई आय आयकर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आय एवं उत्पन्न आय दोनों ही कर योग्य होती हैं। करदाता चाहे तो प्राप्त आय पर कर अदा कर सकता है या उत्पन्न होने के आधार पर भी अदा कर सकता है। यदि किसी करदाता ने कोई आय कमा ली है, परन्तु वास्तव में प्राप्त नहीं की है तो भी कर योग्य होगी परन्तु यदि कोई करदाता अपना हिसाब-किताब प्राप्ति के आधार पर रखता है, तो वह गत वर्ष की प्राप्तियों पर ही कर देगा। प्राप्त न की गई अर्जित आय उस वर्ष में कर योग्य होगी जिस वर्ष में वह वास्तव में प्राप्त की जायेगी। परन्तु यदि कोई करदाता अपना हिसाब-किताब दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के आधार पर रखता है तो उसे अर्जित या कमाई गई आय पर कर देना होगा चाहे वह गत वर्ष में प्राप्त की गई हो अथवा नहीं।

(9) धन या ऋण के रूप में आय–किसी व्यक्ति की आय 'धन' के रूप में भी हो सकती है तथा 'ऋण' के रूप में भी हो सकती है। 'ऋण' की आय को हानि कहते हैं, अतः आय के अन्तर्गत हानियाँ भी आती हैं।

(10) आय की प्रकृति प्रथम प्राप्ति निश्चित करती है- कोई प्राप्ति आय है अथवा नहीं, इसका निश्चय उसी समय हो जाता है, जबकि वह प्रथम बार प्राप्त की जाती है। यदि कोई रकम प्राप्ति के समय आय नहीं है परन्तु बाद में परिस्थितियों के परिवर्तन के फलस्वरूप आय बन जाती है, तो वह आयकर के उद्देश्यार्थ आय नहीं

मानी जायेगी उदाहरणार्थ यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति के विक्रय करने के लिये सौदा करते समय अग्रिम रूप में कोई धनराशि प्राप्त कर लेता परन्तु बाद में क्रेता सौदे से मुकर जाता है तो विक्रेता अग्रिम धनराशि को जब्त कर लेता है जोकि अब वास्तव में विक्रेता की आय हो गयी परन्तु चूँकि यह आय प्राप्ति के समय आय नहीं थी इसलिए आयकर कि उद्देश्यार्थ यह धनराशि बाद में भी कर योग्य नहीं मानी जायेगी।

(11) व्यक्तिगत उपहार– यदि प्यार एवं स्नेह के कारण अथवा व्यक्तिगत सम्बन्धों के कारण कोई व्यक्ति उपहार प्राप्त करता है तो करारोपरण के उद्देश्यार्थ यह आय नहीं माना जायेगा परन्तु यदि कोई व्यक्ति गुरु होने के नाते अपने शिष्यों से उपहार प्राप्त करता है तो आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कारारोपण के उद्देश्य से इसे आय माना जायेगा।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(12) धर्मादा, गऊशाला आदि के मद में प्राप्त आय-आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत, कोई आय जो धर्मादा, गऊशाला आदि के सम्बन्ध में प्राप्त होती हैं, आयकर हेतु आय नहीं मानी जाती है।

(13) बचत से आय आयकर अधिनियम के अन्तर्गत बचत को आय में सम्मिलित नहीं किया गया है। उदाहरणार्थ यदि कोई पति अपनी पत्नी को घर खर्च के लिये धनराशि देता है तथा पत्नी आवश्यक धनराशि खर्च करने के उपरान्त भी उसमें बचत कर लेती है तो यह बचत करारोपण के उद्देश्यार्थ आय नहीं मानी जायेगी।

(14) किश्तों में या एकमुश्त आय-आयकर अधिनियम के उद्देश्यार्थ यह आवश्यक नहीं है कि आय शीघ्र आये अथवा धीरे-धीरे प्राप्त हो । धनराशि की मात्र एक प्राप्ति ही आय हो सकती है।

(15) खर्चों की क्षतिपूर्ति – आयकर के उद्देश्यार्थ खर्चों की क्षतिपूर्ति को आय नहीं माना जाता है। नियोक्ता द्वारा नियोजित व्यक्ति की वास्तविक यात्रा व्यय की क्षतिपूर्ति आय नहीं मानी जाती है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को किसी ऋण की अदायगी से मुक्त कर दिया जाता है, तो इसे आय नहीं माना जायेगा।

(16) आय का उपयोजन या आय का प्रयोग– 'आय के उपयोजन' एवं 'आय के उपयोग में मामूली सा अन्तर है परन्तु यह मामूली अन्तर काफी महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति की आय पर कानूनी रूप से किसी दायित्व का भार लगा दिया जाता है तो उतनी धनराशि उसकी आय नहीं मानी जायेगी क्योंकि यह 'आय का उपयोजन' कहलाता है। आय के स्रोतों के हस्तान्तरण को भी 'आय का उपयोजन' कहा जाता है। यदि वह अपनी इच्छा से अपनी किसी आय का हस्तान्तरण कर देता है तो यह आय हस्तान्तरणकर्ता की मानी जायेगी क्योंकि यह 'आय का प्रयोग' कहलायेगा। उदाहरणार्थ यदि कोई न्यायालय किसी व्यक्ति की किसी आय पर 1,500 रुपये प्रतिमाह किसी विधवा को गुजारा भत्ता अदा करने का आदेश देता है तो यह उस व्यक्ति पर लगाया गया कानूनी दायित्व है; अतः यह 'आय का उपयोजन' है; अतः वह व्यक्ति इस पर कर नहीं देगा बल्कि कर धनराशि प्राप्तकर्ता पर देय होगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपनी एक लाख रुपये की सरकारी प्रतिभूतियाँ अपने पुत्र के नाम हस्तान्तरित कर देता है तो इन प्रतिभूतियों से प्राप्त आय इस व्यक्ति की नहीं मानी जायेगी बल्कि उसके पुत्र की आय मानी जायेगी क्योंकि यह आय के स्रोत का हस्तान्तरण है। इसके विपरीत, यदि किसी आय पर दायित्व का भार स्वेच्छापूर्वक बनाया जाता है अथवा केवल आय का ही हस्तान्तरण किया जाता है तो इसे 'आय का उपयोग' कहा जायेगा तथा यह आय हस्तान्तरणकर्ता की मानी जायेगी।

Q3 निम्न पर संश्रिप्त टिप्पणियां लिखिए-

a) व्यक्ति

b)निर्धारिता

c)गत वर्ष

d)कर निर्धारण वर्ष

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

Ans a) व्यक्ति - व्यक्ति (Person) [धारा 2 (31)] यह 'व्यक्ति' शब्द से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कि कर की अदायगी के लिए दायित्वाधीन है। 'व्यक्ति' के अन्तर्गत निम्नलिखित शामिल हैं- (i) व्यक्ति विशेष (individual), (ii) हिन्दू अविभाजित परिवार, (iii) कम्पनी, (iv) फर्म, (v) व्यक्तियों का संगम या निकाय, चाहे निगमित हो अथवा नहीं, (vi) स्थानीय स्वायत्त संस्था (artificial jurisdical person) जो कि ऊपर की श्रेणियों में से किसी के अन्तर्गत नहीं आते।

वित्त अधिनियम 2002 द्वारा इस खण्ड के निमित्त व्यक्तियों का संगम (association of persons) अथवा व्यक्तियों का निकाय आवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति को व्यक्ति माना जाएगा, चाहे ऐसा संगम निकाय या व्यक्ति आय लाभ अथवा प्रलाभ प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु निर्मित स्थापित अथवा निगमित हुआ हो अथवा ऐसे प्रयोजन के लिए निर्मित, स्थापित या निगमित न हुआ हो।

व्यक्ति (Individual) जहाँ 'व्यक्ति' शब्द से एक प्राकृतिक व्यक्ति अथवा एक मानव प्राणी का अर्थ है। इसके अन्तर्गत अवयस्क व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति भी शामिल है, जो अस्वस्थ मस्तिष्क का है।

फिर भी अजात व्यक्ति (unborn person) इसके अन्तर्गत नहीं आता है। अवयस्क अथवा पागलों के मामलों में निर्धारण उनके संरक्षकों पर किया जाता है|

b)निर्धारिता- निर्धारिती [धारा 2 (7)] 2 धारा 2 (7) के अनुसार 'निर्धारिती' शब्द से एक ऐसे व्यक्ति का अर्थ अभिप्रेत है, जिसके द्वारा कर अथवा धन राशि (जैसे शास्ति या ब्याज) इस अधिनियम के अन्तर्गत् देय है और उसमें निम्लिखित भी सम्मिलित होंगे

(क) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जिनकी आय अथवा फ्रिन्ज लाभ (fringe benefit) के निर्धारण अथवा किसी अन्य व्यक्ति की आय जिसके लिए वह कर निर्धारण योग्य है अथवा उसके द्वारा उठायी गयी हानि या उसको देय वापसी की राशि निर्धारण के लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है, चाहे उसके द्वारा कोई कर देय हो अथवा नहीं।

(ख) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारिती माना गया है, धार 160 के अन्तर्गत मृत व्यक्ति का वैध प्रतिनिधि उस कर के सम्बन्ध में एक निर्धारिती माना जायेगा, जो कि मृत व्यक्ति के द्वारा प्रदेय हो । अभिकर्ता को ऐसे कर के बारे में निर्धारिती माना जायेगा, जो कि एक अनिवासी के द्वारा प्रदेय हो। इसी प्रकार से एक अवयस्क या संरक्षक या प्रबन्धक अथवा एक पागल व्यक्ति का संरक्षक या प्रबन्धक उस कर के बारे में एक निर्धारिती माना जायेगा जो कि उस अवयस्क अथवा पागल व्यक्ति द्वारा देय हो |

(ग) ऐसा व्यक्ति जो कि इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अधीन चूक घटित करने के कारण निर्धारिती कहे जाने के योग्य हो। उदाहरण के लिए धारा 201 के अन्तर्गत एक ऐसा व्यक्ति जो कि आय के स्रोत पर ही कर की कटौती करने के लिए बाध्य हो, किन्तु वह ऐसी कटौती नहीं करता है अथवा ऐसी कटौती करने के उपरान्त कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे चूक घटित करने के कारण निर्धारिती माना जायेगा।

इस प्रकार निम्नलिखित दो श्रेणी के व्यक्तियों को निर्धारिती माना गया है

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(i) ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा कोई कर शास्ति या व्याज इस अधिनियम के अधीन देय हों, चाहे इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही उसके विरुद्ध की गयी हो अथवा नहीं,

(ii) ऐसे व्यक्ति जिनके विरुद्ध अधिनियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही (क) उनकी आय के निर्धारण अथवा

(ख) किसी अन्य व्यक्ति की आय के निर्धारण जिसके लिए वह कर निर्धारण योग्य है, या (ग) उनके द्वारा उठायी गयीं हानि के निर्धारण अथवा (घ) उसको देय वापसी की रकम है, निर्धारण के लिए आरम्भ कर दी गयी हो, चाहे वह कोई कर शास्ति या व्याज देने के लिए दायित्वाधीन है या नहीं।

c)गत वर्ष - गत वर्ष (Previous Year) (धारा 3) गर्त वर्ष से तात्पर्य कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष से है। वित्तीय वर्ष में स्थापित नये व्यापार अथवा पेशे अथवा उस वित्तीय वर्ष में अस्तित्व में आने वाले किसी आय के नये स्रोत के लिए गत वर्ष नये व्यापार या पेशा के स्थापित होने की तिथि अथवा नये स्रोत के अस्तित्व में आने की तिथि से प्रारम्भ होकर उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति की अवधि होगी।

d)कर निर्धारण वर्ष - कर निर्धारण वर्ष (Assessment Year) धारा 2(9) में कर निर्धारण वर्ष की परिभाषा दी हुई है। इस धारा के अनुसार कर निर्धारण वर्ष से अभिप्राय ऐसे 12 महीने के समय से है, जो प्रत्येक वर्ष पहली अप्रैल को प्रारम्भ होता है। इस वर्ष को आयकर वर्ष की संज्ञा भी दी जाती है। इस प्रकार यह वर्ष वित्त वर्ष है, जो कि पहली अप्रैल को प्रारम्भ होता है और आगे आने वाले 31 मार्च को समाप्त होता है। उदाहरण के लिए, कर निर्धारण वर्ष 1987-88 वह वर्ष है, जो कि एक अप्रैल, 1987 को शुरू होता है और 31 मार्च, 1988 को समाप्त होता है। वह वित्त वर्ष जिसमें कि कर लगाया जाता है, उसे कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। कर की दरें प्रतिवर्ष वित्त अधिनियम के द्वारा नियत की जाती हैं। वह वर्ष जो 1 अप्रैल, 1987 को शुरू और 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुआ, उसे कर निर्धारण 1987-88 कहेंगे, जिसमें कि पिछले वर्ष 1986-87 की आय के सम्बन्ध में कर लगाया जायेगा।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW